



# कार्पोरेट प्लान

## वर्ष 2007–12

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,  
104, महात्मा गांधी मार्ग,  
लखनऊ 266001

## विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कार्य क्षेत्र	2
3.	दिव्यदर्शन एवं लक्ष्य	3
4.	भूमिका एवं रणनीति	4
5.	मानव संसाधन	5
6.	अगले पाँच वर्षों के लिए आवासीय मांग सर्वे के आधार पर आवश्यकताये	6–9
7.	अगले पाँच वर्षों (2007–12)के लिए कार्य योजना	10–20
8.	प्राथमिकता क्षेत्र	21–22
9.	परिषद की प्रमुख समस्यायें एवं सुझाव	23
10.	अनुलग्नक, 'क'	24–27

## 1. प्रस्तावना

विश्वीकरण के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में तीव्र गति से बदलते परिवेश में अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि हर संस्था अपनी कार्य प्रणाली को उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ-साथ ग्राहक की इच्छाओं के अनुरूप स्वयं को ढालें। कार्य प्रणाली एवं उत्पाद की उच्च कोटि एवं विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सजग एवं सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय डापट आवासीय नीति के अनुसार वर्तमान समय 17 लाख आवास हकाईयों की कमी है जो आगामी दस वर्ष में बढ़कर 31 लाख होने की सम्भावना है। इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय आवास नीति के अनुरूप ग्राहक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी पाँच वर्षों के लक्ष्य इस प्रकार नियोजित किए जायें कि:-

- संतुलित क्षेत्रीय नगरीकरण हो, जिससे छोटे नगरों से बड़े नगरों तथा गाँव से शहरों की ओर प्रवासन को नियन्त्रित किया जा सके।
- उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग किया जासके।
- मध्यम एवं छोटे नगरों के विकास हेतु महत्व दिया जाये।
- जिन नगरों में तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाय।
- नगरीय अवस्थाजनाओं को प्राथमिकता दी जाय।
- निजि एवं सहकारी सहभागिता से समस्या का समुचित समाधान हो सके।

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए परिषिद्ध द्वारा यह कार्पोरेट प्लान तैयार किया गया है।

१५/२५/६

## **2. परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कार्यक्षेत्र**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में रामनवय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

परिषद के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :-

1. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य रावेजनिक निगमों तथा उपकरणों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
3. भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलाधारी, जल सम्भारण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त व्यवितरणों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
4. समाज के दुर्बल आय वर्ग के लिए सूचीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुखा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
5. केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपकरण अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शार्पिंग काम्पलेक्सों तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
6. भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट एफेविट्र टेक्नालोजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
7. प्रदेश में सहकारिता आनंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
8. आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

### **परिषद का संगठन**

परिषद में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नामित निम्न सदस्य हैं।

	अध्यक्ष
1-	प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास विभाग, उ० प्र० शासन
2-	प्रमुख राजिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन
3-	प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०शासन
4-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०
5-	अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम
6-	निदेशक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, लड़की
7-	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ० प्र० शासन
8-	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
9-	राजिव, नगर विकास एवं अभियन्त्रण शाखा, उत्तरांचल शासन
10-	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
11-	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद सचिव संयोजक

### **विशेष आगंत्री**

1-	अपर आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2-	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	वित्त नियंत्रक, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

### **परिषद का प्रशासनिक ढांचा**

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवास आयुक्त हैं। जिनके अधीन अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद नियोजक एवं वित्त नियंत्रक नियुक्त हैं जो विभिन्न संवर्गों के नियंत्रक अधिकारी हैं।

### **कार्यक्षेत्र**

प्रारम्भ में परिषद का कार्यक्षेत्र प्रदेश के पौंछ महानगरों यथा कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ में सीमित था। परिषद के कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हुई। वर्तमान में परिषद के कार्यक्षेत्र में 137 नगर (अनुलग्नक-क) अधिसूचित किये गये हैं जिसमें से 65 नगरों (कमांक 1 से 53 तक उत्तर प्रदेश तथा कमांक 110 से 121 तक उत्तराखण्ड राज्य में) निर्माण एवं विकास कार्य संचालित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 नगरों (कमांक 54, 55) में कार्य प्रगति में है। 8 नगरों (कमांक 56 से 63 तक) में भूमि अर्जन प्रस्तावित है। 46 नगरों (कमांक 64 से 109 तक) में योजना संचालित/प्रस्तावित की जानी हैं। उत्तराखण्ड के अवशेष 16 नगरों (कमांक 122 से 124, 125 एवं 126 से 137, तक) पर कोई कार्यवाही अलग राज्य बन जाने के कारण नहीं की जा रही है।

### 3. दिव्यदर्शन

उ०प्र० २०१० आवास एवं विकास सम्पूर्ण आवासिकी समस्याओं का समाधान, सम्पदा विकास एवं पर्यावरण संरक्षित आवासीय एवं लघु व्यवसायिक टाउनशिप तथा शैक्षिक पार्क्स को विकसित करते हुए विश्व स्तर पर सम्मानित एवं विख्यात संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेगी।

उक्ता लक्ष्य को प्राप्त करने में परिषद अपने ग्राहकों के हित को सर्वोच्च प्रथमिकता देगी, अपने कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के लिए न्यायोचित लाग रुनिश्चित करेगी तथा अपने कार्यक्षेत्र के सभी आयामों में पूर्ण गुणवत्ता रखेगी।

#### **लक्ष्य**

वर्ष 2012 तक कुल 5000 करोड़ रुपये के टर्नओवर की प्राप्ति।

नगरीय प्रबन्धन, थीम पार्क, गगनचुम्बी इमारतों आदि के क्षेत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना।

समग्र समाधान पर बल।

#### परिषद की गुणवत्ता नीति

उ० प्र० २० आवास एवं विकास परिषद आवासिकी की परियोजनाओं के माध्यम से मानव के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु प्रयास करेगी। इस हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा तथा स्वस्थ एवं विकासशील पर्यावरण में कार्य-क्षमता के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता के निर्माण-विकास कार्य किये जायेंगे। परिषद अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति संवेदनशील रहेगी तथा इसका लक्ष्य ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होगा।

हम उ० प्र० २० आवास एवं विकास परिषद को एक विश्व स्तरीय संस्था बनाये जाने हेतु आवासिकी की उत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाते हुए अपनी कार्यक्षमता विकसित करने का संकल्प लेते हैं।

#### परिषद की गुणवत्ता नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

- कार्यों हेतु निर्धारित समय एवं उनकी लागत के विचलन में कमी लाना।
- ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं में कार्य प्रणाली में सुधार कर, कमी लाना।
- ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।
- कार्य को पहली बार में पूर्ण करने का प्रयास करना।

१८७

#### 4. भूमिका एवं रणनीति:

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्र की सर्वाधिक अनुभव एवं तकनीकी कुशल कार्मिकों की संरथा है। अपने अतीत से अब तक सभी को आवास का पुनीत लक्ष्य लेकर चलने वाली इस संस्था ने 62 प्रतिष्ठत आवास दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्मित किये हैं। परिषद ने अपने कार्यकलापों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सामिलित करने का लक्ष्य अपने विज्ञ डाक्यूमेंट में रखा है। इस विज्ञन की प्राप्ति के लिए अपने को विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान करने के निमित्त तथा अपनी कार्य प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करने के लिए परिषद द्वारा आई0एस0ओ0 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

परिषद अपने संसाधन, कुशल कार्मिकों की क्षमताओं, अपनी सुविधा प्रदायक भूमिका तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्र की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न नीतिगत विन्दुओं का समावेश करते हुए अगले पाँच वर्षों की कार्य योजना तैयार की है :-

- सुविधा—प्रदायक भूमिका।
- परिषद की कार्य योजना रायद्वीय एवं प्रदेश की आवास नीति के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय नगरीकरण।
- उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सटुपयोग।
- नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण।
- दुर्बल आय वर्ग को प्राथमिकता।
- जिन नगरों में तीव्र गति से नगरीयकरण हो रहा है, उन्हें प्राथमिकता।
- नगरीय अवस्थाज्ञाओं को प्राथमिकता दी जाय।
- गध्यम एवं छोटे नगरों विकास हेतु महत्व दिया जाये।
- निजी एवं सहकारी क्षेत्र की सहभागिता परन्तु जनहित की रक्षा के लिए नियन्त्रक की भूमिका।
- पर्यावरण संरक्षण।

१५८

5. मानव संसाधनः

1 इन्जीनियरिंग संवर्ग :	805
2 वास्तुकला संवर्ग	40
3 प्राविधिक संवर्ग	160
4 लेखा संवर्ग	257
5 सम्पत्ति प्रबंधन संवर्ग	17
6 भिन्निस्टीरियल संवर्ग	846
7 अन्य सहयोगी संवर्ग	808
8 कार्य प्रभारित संवर्ग	2145
9 सहकारिता संवर्ग	35
10 दैनिक वेतन	69
11 प्रशासनिक अधिकारी (प्रतिनियुक्त वर्ग)	9
कुल योग	5191

८५७

## 6. अगले दस वर्षों के लिए आवासीय मांग सर्वे के आधार पर आवश्यकतायें :

मैं १० ए०सी०नेल्शन ओ०आर०जी० मार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत 25 नगरों में  
आवासीय मांग का सर्वेक्षण <sup>द्वि०८५-०६मे०</sup> किया गया। इस सर्वेक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

- सर्वेक्षण हेतु शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है
  - प्रथम श्रेणी के नगर - एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 06 नगर
  - द्वितीय श्रेणी के नगर - पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले 09 नगर
  - तृतीय श्रेणी के नगर - पचास हजार से कम जनसंख्या वाले 09 नगर
- प्रथम श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वाहित भूमि(हेक्टर)
1.	मेरठ	64,623	969
2.	गाजियाबाद / लोनी	6,99,499	8,873
3.	हापुड़	52,718	998
4.	मोदीनगर	13,023	367
5.	बुलंदपेहर	22,264	675
	कुल	8,52,127	11,882

- उक्त नगरों में मुख्य मांग मध्यम एवं अल्प आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 60 से 70 : है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 17 से 20 : है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर वर्तमान समय में 4 : है जो भविष्य में बढ़कर 8 से 10 : होना संभावित है।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में 2 : है जो भविष्य में बढ़कर 7: होना संभावित है।
- उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त सभी नगरों में 10 वर्षों में 4 से 5 : हाउस होल्ड अपने वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में षिफ्ट होना संभावित है।

१०६४

- द्वितीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हेक्टर)
1.	बड़ोत	12,448	249
2.	दादरी	17,842	400
3.	खुर्जा	19,469	487
4.	सिकंदराबाद	13974	395
5.	मवाना	16,482	623
6.	मुरादनगर	13,462	383
कुल		93,677	2,537

- उक्त नगरों में मुख्य मांग मध्यम एवं अल्प आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 65 से 70 % है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 20 % है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 7% होना संभावित है।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 7 % होना संभावित है।
- उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त सभी नगरों में 10 वर्षों में 2 से 3 % हाउस होल्ड अपने वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में शिफ्ट होना संभावित है।
- तृतीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हेक्टर)
1.	बागपत	16,142	267
2.	सरथना	7,361	127
कुल		23,503	394

- उक्त नगरों में मुख्य मांग अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 70 % है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 10 % होना संभावित है।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 2 % होना संभावित है।

८८८

- उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त सभी नगरों में 10 वर्षों में 2 से 4 % हाऊस होल्ड अपने वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में शिफ्ट होना संभावित है।

कुल 25 नगरों में से प्राथमिकता के आधार पर उक्त 13 नगरों में कुल 9,69,307 भवन बनाये जाने होंगे जिसके लिए कुल 14,813 हेक्टेएकर भूमि की आवश्यकता होगी।

मै0 राईट्स द्वारा मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत 25 नगरों में आवासीय मांग का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

- सर्वेक्षण हेतु शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है
  - प्रथम श्रेणी के नगर - एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 02 नगर
  - द्वितीय श्रेणी के नगर - पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले 12 नगर
  - तृतीय श्रेणी के नगर - पचास हजार से कम जनसंख्या वाले 11 नगर
- प्रथम श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हेक्टर)
6.	लखनऊ	2,88,866	3,873
7.	कानपूर	2,38,126	3,515
	कुल	<b>5,26,992</b>	<b>7,388</b>

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 28% है तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग भवनों की मांग 41% है।
- दुर्वल आय वर्ग की मांग 14% है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर 50% होना संभावित है।
- द्वितीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हेक्टर)
1.	झांसी	26,621	358
2.	बाँदा	18,009	241
3.	रायबरेली	16,310	220
4	लखीमपूर	13,446	198

5	ओरई	14,589	213
6.	सीतापूर	11,837	173
7.	इटावा	14,242	211
	कुल	1,12,649	1,614

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 38% है तथा मध्यम एवं अल्प आय वर्ग भवनों की मांग 36% है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 15% है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर 59% होना संभावित है।
- तृतीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हेक्टर)
1.	महोबा	6,782	99
2.	गोलागोकरननाथ	3,789	48
3.	चित्रकूटधाम	3,481	46
4.	मऊ रानीपूर	3,080	45
5.	जालौन	2,827	41
6.	कल्नौज	4,237	62
	कुल	24,196	341

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 28% है तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग भवनों की मांग 45% है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 16% है।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर 61% होना संभावित है।

कुल 25 नगरों में से प्राथमिकता के आधार पर उक्त 13 नगरों में कुल 6,63,837 भवन बनाये जाने होंगे जिसके लिए कुल 9,343 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होगी।

१८५

7. अगले पांच वर्षो (2007–12)  
के लिए कार्य योजना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की कार्य योजना (2007-12) का संक्षिप्त विवरण:-

1. अर्जित आय :-

सम्पत्ति के विक्य तथा अन्य श्रोतों से 1.4.07 को रु0 1420.00 करोड़ की आय होनी शेष है तथा उम्मेल सम्पत्तियों के सृजन के फलस्वरूप तथा अन्य श्रोतों से परिषद को आगामी 5 वर्षों में कुल रु0 5235.00 करोड़ की आय होने की सम्भावना होगी।

2. प्रशासनिक व्यय :-

उपरोक्त सभी कार्यों पर किये जाने में 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय प्रस्तावित किया गया है। जिसके अनुसार सम्भावित प्रशासनिक व्यय रु0 523.50 करोड़ होगा।

3. लैंड बैंक एवं भूमि अर्जन :-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में 01.4.07 को 395.00 हैक्टेयर निविवादित भूमि उपलब्ध है तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 3500 हैक्टेर भूमि के अर्जन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिस पर रु0 1808 करोड़ व्यय होना प्रस्तावित है। इस अर्जित की जा रही भूमि में से 2007-08 से 2011-12 तक 2105 हैक्टेयर भूमि को विकसित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

4. सबके लिए आवास :-

उपरोक्त विकसित की जाने वाली 2105 हैक्टेयर भूमि पर अगले पाँच वर्षों (2007-12) में 58600 नग सम्पत्तियों का सृजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा 5098 डिपाजिट कार्यों को प्राप्त किये जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल 63698 सम्पत्तियों के सृजन का प्रस्ताव है। इस सम्पत्तियों के निर्माण पर 1149.13 करोड़ तथा उक्त भूमि के विकास पर 1301.47 करोड़ अर्थात् कुल 2450.60 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है।

5. सम्पत्तियों का आवंटन / निस्तारण :-

दिनांक 1.4.07 को परिषद की पिछली अवशेष सम्पत्तियों 10,147 हैं तथा इनको वित्तीय वर्ष 2007-08 में निस्तारित किये जाने की कार्य योजना एनैक्सर-1 पर दी गयी है। तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 63700 सम्पत्तियों को आवंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

6. सम्पत्तियों का निबन्धन :-

5256 सम्पत्तियों का निबन्धन 1.4.07 को किया जाना अवशेष है तथा इनके निबन्धन की कार्ययोजना एनैक्सर-2 पर 2007-08 में माहवार प्रदर्शित की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 54350 सम्पत्तियों के निबन्धन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

7. वृक्षारोपण :-

परिषद योजनाओं में सड़कों, ओपेन स्पेस, पार्क, ग्रीन बेल्ट इत्यादि में 3,80,000 पौधों को आगामी 5 वर्षों में लगाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित भूमि की उपलब्धता के आधार पर रखा गया है।

8. रेन वाटर हार्डिंग :-

गिरते भू-जलस्तर को देखते हुए आगामी 5 वर्षों (2007 से 2012 तक) रेन वाटर हार्डिंग के मद में 170 नग तालाबों को उपरोक्त अर्जित/विकसित की जाने वाली भूमि पर विकसित किये जाने की योजना है तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर निर्मित 3160 भवनों में रेन वाटर हार्डिंग किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

9. मानवित्र स्वीकृति / निस्तारण :-

आगामी 5 वर्षों में 21200 भवनों के मानवित्र स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

10. शासन एवं हुड़को/वित्तीय संस्थाओं से ऋण :-

उपरोक्त भूमि अर्जन, विकास, निर्माण कार्य परिषद अपने संसाधनों से करेगी। आगामी 5 वर्षों में शासन एवं हुड़को एवं अन्य किसी भी संस्था से ऋण लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद**  
**वर्ष 2007-08 से 2011-2012 तक की कार्ययोजना**

क्रमसंख्या	ग्रन्थ का नाम	पिछला अवधेश्य	वित्तीय वर्ष				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	
1.	भूमि अर्जन (हेक्टेयर में)	395	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00
2.	भूमि अर्जन पर सम्भावित व्यय (रु० लाख में) (सभी प्रत्याशित व्यय सहित)	—	17500.00	25200.00	36300.00	48384.00	54432.00
3.	वर्षवार विकास का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	—	347.00	380.00	418.00	460.00	500.00
4.	सम्पत्ति विकास का भौतिक लक्ष्य (I) सबके लिए आवास+ अन्य सम्पत्तियाँ (II) डिपालिट कार्य	— योग:-	7600 837 8437	9200 920 10120	11500 1010 12510	13800 1110 14910	16500 1221 17721
5.	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)						
	निर्माण	—	6300.00	7560.00	9070.00	10890.00	13068.00
	विकास	—	17350.00	20900.00	25289.00	30383.00	36225.00
	डिपालिट	—	7300.00	10218.00	12826.00	16430.00	21251.00
	योग (अ+ब+स)	—	30950.00	38878.00	47185.00	57703.00	70544.00
6.	वृक्षारोपण का लक्ष्य(संख्या में)	—	50000	60000	80000	90000	100000
7.	सम्पत्तियों का आवंटन(संख्या में)	10147	12435	9765	12500	13000	16000
8.	निवन्धन (संख्या में)	5258	7800	8400	10350	12650	15150
9-अ	रेन वाटर हार्डिंग	—	20	30	30	40	50
9-ब	मवनों पर(संख्या में)	—	450	500	650	730	830
	योग (9अ+9ब)	—	470	530	680	770	880
10.	मानवित्र की स्वीकृति(संख्या में)	—	3000	3200	4000	5000	6000
11.	शासन एवं हड्डियों के ऋणों का गुणतान(लाख में)	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	सम्पत्ति क्षेत्र विकास से तथा अन्य ओरों से आय (रु० लाख में)	142004.00	86000	94500	104000	114000	125000
13.	सम्भावित प्रशासनिक व्यय(लाख में)	—	8600	9450	10400	11400	12500
14.	प्रशासनिक चार्जों का प्रतिशत	—	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

**भूमि अर्जन हेतु वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की कार्य योजना**

क्रमांक	योजना का नाम	काल्पना प्राप्त करने का लक्ष्य (हेक्टेएक्टर में)				
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास गांग योजना, गाजियाबाद	200.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2	पूर्वी विहार योजना, लखनऊ	200.00	48.40	0.00	0.00	0.00
3	वृन्दावन योजना सं0–3, लखनऊ	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ	40.00	100.00	85.00	0.00	0.00
5	मझोला योजना सं0–५ गांग–2, मुरादाबाद	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कोटदार रोड योजना नज़ीबाबाद (विजनौर)	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
7	योजना सं0–9, सहारनपुर	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
8	योजना सं0–4, शाहजहाँपुर	0.00	20.80	8.00	0.00	0.00
9	योजना सं0–3, झौरी	0.00	12.50	6.00	0.00	0.00
10	वित्रकूट योजना–वित्रकूटधाम	0.00	14.10	14.00	0.00	0.00
11	योजना सं0–1, खुर्जा	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
12	लौनी रोड योजना, गाजियाबाद	0.00	100.00	100.00	70.00	65.00
13	सुल्तानपुर रोड योजना, लखनऊ	0.00	100.00	100.00	150.00	200.00
14	झीसपुर भूमि विकास योजना, निर्जापुर	0.00	20.80	25.00	0.00	0.00
15	फैजाबाद मार्ग योजना, आजमगढ़	0.00	18.00	1.80	0.00	0.00
16	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोप्ता	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
17	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलरामपुर	0.00	4.00	10.40	10.00	0.00
18	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, चहराइच	0.00	10.00	14.50	0.00	0.00
19	लोहरामऊ रोड योजना, सुल्तानपुर	0.00	5.00	5.80	0.00	0.00
20	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना–८, वरेली	0.00	0.00	40.00	60.00	60.40
21	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना–४, रामपुर	0.00	10.00	13.70	0.00	0.00
22	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना–५, रामपुर	0.00	0.00	0.00	24.00	20.10
23	मझोला योजना सं0–५ भाग–२ विरतार, मुरादाबाद	0.00	0.00	0.00	50.00	60.50
24	अरतीनी योजना, आगरा	0.00	37.00	100.00	100.00	100.00
25	मधुरा रोड योजना हाथरस	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00
26	वृन्दावन योजना, मधुरा	0.00	0.00	20.00	50.00	39.00
27	रामाघाट रोड योजना, अलीगढ़	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00
28	सर्कुलर रोड योजना, हरदोई	0.00	0.00	13.00	24.00	0.00
29	आग्राली विस्तार योजना, लखनऊ	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00
30	बाईपास रोड योजना सं0–१, फैजाबाद	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
31	बाईपास रोड योजना सं0–२, फैजाबाद	0.00	0.00	17.00	10.00	0.00
32	आजमगढ़ मार्ग योजना–१ अकबरपुर, अन्देलकरनगर	0.00	0.00	10.00	5.60	3.50
33	शताब्दी नगर योजना, इलाहाबाद	0.00	0.00	21.40	20.00	51.50
34	दिल्ली सहारनपुर गांग योजना गाजियाबाद	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00
35	इलाहाबाद योजना सं0–२, जीनपुर	0.00	10.00	10.40	8.40	0.00
36	योजना सं0–४, कानपुर	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00
37	जीटीएसोड बाईपास योजना, बाराणसी	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
38	जागृति विहार योजना सं0–११, मेरठ	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00
	योग	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00
2	भूमि अर्जन पर संभावित लागत, सभी प्रत्याशित व्ययों सहित (₹० करोड़ में)	175.00	252.00	353.00	483.80	544.30

**ज्ञा प्र० आवास एवं विकास परिषद**  
**भूमि विकास हेतु वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की कार्य योजना**

जून-07

क्रम सं	योजना का नाम	शहर का नाम	भूमि विकास करने का लक्ष्य (हेक्टेयर में)				
			लक्ष्य 2007-08	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Raziajpur Yojna	Ghazipur	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Yojna No 2	Jaunpur	0.00	5.00	5.00	5.00	7.00
3	G.T. Road Yojna	Varanasi	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4	Shatabdi Nagar Yojna	Allahabad	10.12	0.00	10.00	15.00	20.00
5	Dharmapuri Yojna	Mirzapur	0.00	10.00	8.00	10.00	10.00
6	Fatehpur Marg Yojna Azm	Azamgarh	4.04	6.00	8.00	5.00	0.00
7	Jagat Vihar Yojna-II	Meerut	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	Ring Road Yojna Phase-2	Muzaffarnagar	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Yojna-8, Saharanpur	Saharanpur	25.00	15.00	10.00	10.00	0.00
10	Yojna-9, Saharanpur	Saharanpur	4.12	4.40	0.00	0.00	0.00
11	Yojna-10, Meerut	Meerut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Veerbadra Marg Yojna-1	Rishikesh	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Yojna-1, Srinagar	Srinagar	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Indira Nagar Vistaar-2	Lucknow	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
15	Pravvi Vihar Yojna	Lucknow	0.00	40.00	35.00	40.00	40.00
16	Yojna No.2	Gonda	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00
17	Vrindavan Yojna-4	Lucknow	20.00	40.00	35.00	40.00	40.00
18	Yojna No.1	Balrampur	0.00	2.00	4.00	10.00	7.00
19	Yojna No.1	Bahyraich	0.00	5.00	5.00	5.00	6.00
20	Lohamau Yojna	Sultanpur	0.00	2.00	5.00	3.00	0.00
21	Karni Yojna	Karni	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00
22	Yojna-2, Kanpur	Kanpur	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Yojna No.4	Kanpur	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00
24	Yojna No.3	Jhansi	5.00	4.00	5.00	4.00	0.00
25	Yojna No.1, Pilibhit	Pilibhit	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Yojna No.2, Ph-2, Budaun	Budaun	12.14	5.00	5.00	0.00	0.00
27	Yojna No-4, Bareilly	Bareilly	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Yojna No.8 Bareilly	Bareilly	0.00	0.00	10.00	20.00	25.00
29	Yojna No.4	Rampur	0.00	5.00	5.00	6.00	5.00
30	Yojna No.1, Jaspur	Jaspur	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Yojna No-2, Kashipur	Kashipur	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Yojna No.5 Rampur	Rampur	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00
33	Majholi Yojna-4, Part-2	Moradabad	52.15	8.00	0.00	0.00	0.00
34	Majholi Yojna-4, Part-2 Vistaar	Moradabad	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00
35	Kotwari Road Yojna	Najibabad	6.00	3.70	4.00	2.00	0.00
36	Rawali Road Yojna, (Purak-1)	Bijnore	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Yojna-4, Shahjahanpur	Shahjahanpur	15.00	5.00	3.00	0.00	0.00
38	Hathras Yojna, Hathras	Hathras	4.56	0.00	5.00	5.00	10.00
39	Kamlia Nagar Yojna, Agra	Agra	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Sikandra Yojna, Agra	Agra	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Trans Yamuna, Ph-2, Agra	Agra	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Artsoni Yojna	Agra	0.00	18.00	30.00	30.00	35.00
43	Shikohabad Yojna	Shikohabad	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Vrindavan Yojna	Mathura	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00
45	Ramghat Yojna	Aligarh	0.00	5.00	10.00	11.00	0.00
46	Yojna No.1	Khurja	12.89	8.00	9.00	0.00	0.00
47	Yojna No.1	Khurja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Suhagnagar Yojna	Firozabad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Bullandshahar Bye-pass Marg Yojna	Ghaziabad	40.07	60.00	48.00	45.00	20.00
50	Loni Road Yojna	Ghaziabad	8.10	40.00	40.00	40.00	40.00
51	Vrindavan Yojna -3	Lucknow	40.00	38.90	30.00	20.00	0.00
52	Sultanpur Road Yojna	Lucknow	10.00	30.00	30.00	30.00	50.00
53	Amrapali Yojna (Hardoi Rd)	Lucknow	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Amrapali Vistaar Yojna	Lucknow	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00
55	Sircular Road Yojna	Hardoi	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00
56	By pass road Yojna	Fazilabad	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00
57	By pass road Yojna-2	Fazilabad	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00
58	Yojna No.1	Ambedkar Nagar	0.00	0.00	5.00	5.00	9.00
	Grand Total		347.00	380.00	418.00	460.00	500.00

विकास कार्यों के वित्तीय लक्ष्य  
2 रुपौङ रुपौङ में 173.50 209.00 252.89 303.83 362.25

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
सम्पादितयों के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की कार्य योजना

जन-07

क्रम संख्या	विभाग का नाम	शहर का नाम	सम्पादितयों के निर्माण का लक्ष्य (लैंडफर्म)				
			लक्ष्य 2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Raudpur Yojna	Ghazipur	0	0	0	0	0
2	Yojna No 2	Jhunpur	0	125	140	240	231
3	G.T. Road Yojna	Varanasi	0	0	0	0	660
4	Pandeypur Yojna	Muzaffarnagar	24	0	0	0	0
5	Shatabdi Nagar Yojna	Allahabad	0	0	270	450	660
6	Jhoca Yojna	Alahabad	26	0	0	0	0
7	Dhronapur Yojna	Mirzapur	0	250	220	300	330
8	Fauzana Marg Yojna Agra	Azamgarh	100	150	220	150	0
9	Jagrat Vihar Yojna B	Meerut	0	0	0	0	330
10	Rao Road Yojna Phased-2	Muzaffernagar	83	0	0	0	0
11	Yojna-6 Saharanpur	Saharanpur	599	375	280	300	0
12	Yojna-9 Saharanpur	Saharanpur	0	110	0	0	0
13	Yojna-10 Meerut	Mooradabad	0	0	0	0	0
14	Veerashakti Marg Yojna-I	Rishikesh	0	0	0	0	0
15	Yojna-1 Shringeri	Srinagar	0	0	0	0	0
16	Indira Nagar Vistar-2	Lucknow	0	250	250	0	0
17	Vikes Nagar Yojna	Lucknow	13	0	0	0	0
18	Prayati Mital Yojna	Lucknow	0	850	900	1200	1320
19	Ramnagar Yojna	Lakhimpur	75	0	0	0	0
20	Yojna No 2	Gonda	0	125	125	90	0
21	Vhindavan Yojna-2 Part-2	Lucknow	112	0	0	0	0
22	Vhindavan Yojna-4	Lucknow	778	900	890	1200	1320
23	Yojna No 1	Balrampur	0	0	115	300	231
24	Yojna No 1	Banyanch	0	0	140	160	196
25	Ishwaranagar Yojna	Sultanpur	0	50	140	90	0
26	Karvi Yojna	Karvi	0	125	140	240	166
27	Yojna-2 Kanpur	Kanpur	200	0	0	0	0
28	Yojna No 3	Kanpur	1066	0	0	0	0
29	Yojna No 1	Auraiya	95	0	0	0	0
30	Yojna No 1	Etawah	17	0	0	0	0
31	Ora Road Yojna	Jalaun	60	0	0	0	0
32	Yojna No 4	Konkan	0	0	0	600	825
33	Yojna No 3	Jhansi	0	100	140	120	0
34	Yojna No-1 Pilibhit	Pilibhit	0	0	0	0	0
35	Yojna No-2 Ph-2 Buldhan	Buldhan	270	125	140	0	0
36	Yojna No-4 Bareilly	Bareilly	0	0	0	0	0
37	Yojna No 5 Bareilly	Bareilly	0	0	280	600	825
38	Yojna No 4	Rampur	1	125	140	160	165
39	Yojna No-1 Jaipur	Jaipur	275	0	0	0	0
40	Yojna No 2 Kashipur	Kashipur	66	0	0	0	0
41	Yojna No-5 Rangpur	Rangpur	0	0	0	300	495
42	Majholi Yojna-4, Part-2	Monodbed	1573	300	0	0	0
43	Majholi Yojna-4, Part-2 vistar	Monorampur	0	0	0	600	960
44	Kaldewar Road Yojna	Nayababad	0	75	110	50	0
45	Rawn Road Yojna (Purak-1)	Bijnore	25	0	0	0	0
46	Yojna-4 Sharjahpur	Sharjahpur	72	125	85	0	0
47	Hathras Yojna, Hathras	Hathras	0	0	140	150	330
48	Karma Nagar Yojna, Agra	Agra	0	0	0	0	0
49	Sikandra Yojna, Agra	Agra	13	0	0	0	0
50	Trans Yamuna, Ph-2, Agra	Agra	0	0	0	0	0
51	Antarni Yojna	Agra	0	650	840	900	1156
52	Shikohabad Yojna	Shikohabad	0	0	0	0	0
53	Vindhavan Yojna	Matheran	0	0	280	300	825
54	Ramghat Yojna	Ajmer	0	125	280	330	0
55	Yojna No 1	Khurja	250	230	250	0	0
56	Yojna No 1	Bilaspur	77	0	0	0	0
57	Surajnagar Yojna	Firozabad	94	0	0	0	0
58	Bulandshahar Bye-pass Marg Yojna	Ghaziabad	0	1500	1415	1350	860
59	Loni Road Yojna	Ghaziabad	50	1000	1000	1200	1320
60	Vindhavan Yojna -3	Lucknow	1035	975	880	600	0
61	Sutarkot Road Yojna	Lucknow	0	750	680	920	1620
62	Anrapali Yojna (Hindaun Rd)	Lucknow	110	0	0	0	0
63	Anrapali Vistor Yojna	Lucknow	0	0	280	300	660
64	Nagahta Yojna	Hindaun	40	0	0	0	0
65	Sirsa Road Yojna	Hindaun	0	0	140	150	330
66	By pass road Yojna	Fazilabad	0	0	110	120	204
67	By pass road Yojna-2	Fazilabad	0	0	140	150	264
68	Yojna No 1	Ayodhya/Ramgarh	0	0	140	150	297
69	Vambay Yojna	Muzaffarnagar	72	0	0	0	0
70	Vambay Yojna	Moradabad	200	0	0	0	0
71	Vambay Yojna	Fatehpur	71	0	0	0	0
Grand Total			7800	9200	11500	13800	16600

निर्माण कार्यों के वित्तीय लक्ष्य  
रुप करोड़ में

63.00 75.60 90.70 108.90 130.68

आगामी पांच वर्षों के लिए निर्माण/विकास/डिपाजिट कार्यों हेतु नित्तीय लक्ष्य (लाख में)

प्रारूप-5

क्रमसंख्या	योजना/परियोजना का नाम	निर्माण/विकास/डिपाजिट कार्यों हेतु नित्तीय लक्ष्य (लाख में)					अन्य विवरण	
		नित्तीय वर्ष						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	अ- निर्माण	-	-	-	-	-		
	ब- विकास	-	-	-	-	-		
	<b>स- डिपाजिट</b>							
1.	<b>स्वास्थ्य विभाग</b>							
क.	जिला चिकित्सालय	483.37	1250.00	1600.00	2000.00	2600.00		
ख.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1158.96	1500.00	1950.00	2550.00	3300.00		
ग.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1876.55	2450.00	3185.00	4150.00	5400.00		
घ.	नहिला/पुरुष चिकित्सालय	616.62	300.00	390.00	525.00	682.00		
2.	<b>राजसव विभाग</b>							
क.	तहसील भवन	90.00	275.00	350.00	400.00	450.00		
ख.	न्यायालय भवन	-	169.00	-	-	-		
3.	<b>व्यापार कर विभाग</b>							
क.	अनावसीम/आवासीय भवनों का निर्माण	60.00	50.00	75.00	100.00	150.00		
4.	<b>ग्रामत कार्य</b>	-	25.00	25.00	25.00	25.00		
5.	<b>उच्च शिक्षा विभाग</b>							
क.	जबार नवीदय विद्यालय	44.61	-	-	-	-		
ख.	डिग्री कालेज	-	500.00	600.00	720.00	1000.00		
6.	<b>कारागार विभाग</b>							
क.	निर्माण कार्य	176.59	581.50	250.00	300.00	350.00		
ख.	महसूत कार्य	-	25.00	25.00	25.00	25.00		
7.	<b>खनिज विभाग</b>							
क.	फटिशिंग के कार्य	45.00	50.00	75.00	100.00	125.00		
8.	<b>प्रावेशिक विभाग</b>							
क.	कालनीकी विद्यालय	728.23	250.00	300.00	350.00	400.00		
ख.	आर्द्धशैक्षणिक	400.00	100.00	150.00	200.00	250.00		
ग.	एप्रॉवीडरीआई	452.38	-	-	-	-		
9.	<b>शिल्प विभाग</b>							
क.	कम्हुवा गोली बलिया विद्यालय	31.72	-	-	-	-		
ख.	जिला कैरिकॉ शिल्प अधिकारी कार्यालय	-	-	-	-	-		
10.	संयोग	150.15	-	-	-	-		
11.	हिन्दू	2.00	50.00	75.00	100.00	125.00		
12.	हिन्दू संस्थान	4.65	-	-	-	-		
13.	सूबना श्रीपोषिकी विभाग	2.00	15.00	17.50	-	-		
14.	उत्तर प्रशासन एवं प्रबंध संरचना	25.00	-	-	-	-		
15.	परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	-		
16.	एप्रॉवीडरी	786.18	-	-	-	-		
17.	भूमि सुधार विभाग	68.00	150.00	100.00	150.00	200.00		
18.	परिवहन विभाग	33.00	150.00	200.00	250.00	300.00		
19.	एप्रॉवीडरीआई लक्षनक	50.00	100.00	150.00	200.00	300.00		
20.	खेलकूद विभाग	-	500.00	700.00	900.00	1100.00		
	पर्यटन विभाग	-	50.00	75.00	100.00	125.00		
	सिंधीकैट बैंक के आवासीय भवन	-	300.00	300.00	350.00	350.00		
	विफित्सालय शिल्प विभाग	-	100.00	130.00	170.00	250.00		
	अधीनस्थ चौथा नयन आयोग	-	100.00	130.00	170.00	250.00		
	अन्य विवर कार्य	-	450.00	1459.15	2170.15	3049.70		
	<b>योग</b>	<b>7285.01</b>	<b>9470.50</b>	<b>12311.65</b>	<b>16005.15</b>	<b>20806.70</b>		

अन्य विभागों के प्रत्येक वर्ष का 14.99 747.50 514.35 124.85 444.30  
कुलयोग 7300.0 16218.0 12826.0 16430.0 212510

Kalash-Documents-Sheet-3

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद

(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की नव निर्मित/विकसित  
सम्पत्तियों के आवटन की कार्य योजना

क्रम संख्या	जोन का नाम	वित्तीय वर्ष/निर्स्तारण लक्ष्य(लाखों रुपये)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	5270	4439	5295	4570	4920
2	मेरठ	3418	2197	2964	2748	3207
3	कानपुर	636	797	512	1141	1750
4	आगरा	1150	800	602	610	1398
5	वाराणसी	534	475	1757	2034	2497
6	बरेली	1427	1057	1370	1897	2228
	योग	12435	9765	12500	13000	16000

**उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद**  
**(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग)**

**वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की नव निर्मित/विकसित  
 सम्पत्तियों के निबंधन की कार्य योजना**

क्र०सं०	जोन का नाम	वित्तीय वर्ष/निस्तारण लक्ष्य(लाखोंमें)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	3306	3786	4425	4613	4787
2	मेरठ	2144	1943	2438	2733	3068
3	आगरा	399	654	477	1002	1594
4	कानपुर	721	700	543	597	1206
5	वाराणसी	335	402	1334	1943	2365
6	बरेली	895	915	1133	1762	2130
	योग	<b>7800</b>	<b>8400</b>	<b>10350</b>	<b>12650</b>	<b>15150</b>

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की कार्य योजना

जून-07

क्रम सं	योजना का नाम	शहर का नाम	वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य				
			लक्ष्य 2007-08	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वृन्दावन योजना सं०-१	लखनऊ	2000	1200	500	500	500
2	वृन्दावन योजना सं०-२ भाग-२	लखनऊ	2000	1200	500	500	500
3	वृन्दावन योजना सं०-३	लखनऊ	6000	7000	9000	9000	5000
4	वृन्दावन योजना सं०-४	लखनऊ	3000	6000	10000	12000	12000
5	आग्रापाली योजना	ताज़िनऊ	1000	1200	1800	1000	1000
6	इंदिरा नगर विस्तार-२	लखनऊ	1500	1500	1500	2500	3000
	शताब्दी नगर योजना	इलाहाबाद	0	0	1500	3000	4000
7	रिंग लैंड योजना	मुमुक्षुकनगर	600	500	500	0	0
8	योजना सं०-८	सहारनपुर	4300	4800	1500	1000	1000
9	योजना सं०-२	कानपुर	1000	1000	500	500	500
	योजना सं०-३	कानपुर	1300	1200	1000	1000	1000
10	योजना सं०-२	बदामी	1500	700	500	0	0
11	मझोत्ता योजना सं०-२ भाग-२	मुरादाबाद	7800	8000	5000	6000	8000
12	योजना सं०-४	गाहजीहापुर	2000	1000	500	500	500
13	सिकन्दराबाद योजना	आगरा	3000	2000	1000	500	500
14	योजना सं०-१	मिठोलाबाद	700	500	0	0	0
15	योजना सं०-१	बुर्जी	1800	1300	1500	1000	0
16	सुकन्धनगर योजना	फिरोजाबाद	300	0	0	0	0
17	बुलन्दशहर बड़ीयास योजना	गाजियाबाद	6300	7000	7000	9000	10000
18	चाणकेश्वर योजना	बाराणसी	500	300	0	0	0
19	ब्रैंसी योजना	इलाहाबाद	1000	1000	500	500	500
20	ओवरी योजना	बादलकंजी	500	300	0	0	0
21	पूर्णी विहार योजना	लखनऊ	1000	4000	6000	7000	8000
22	नगोहटा योजना	हरिहरौ	500	300	0	0	0
23	योजना सं०-१	कानपुर	1000	1000	1000	500	500
24	योजना सं०-२	जौनपुर	0	500	700	1000	500
25	धौरीपुर योजना	मिठापुर	0	1000	1000	1000	1000
26	फैजाबाद शार्की योजना	आजमगढ़	0	500	1000	1000	500
27	रामगढ़ योजना	अलीगढ़	0	700	1500	2000	1000
28	अदर्हानी योजना	आगरा	0	2500	5000	6000	7000
29	योजना सं०-९	सहारनपुर	0	300	0	0	0
30	योजना सं०-२	गोपनी	0	500	700	500	500
31	योजना सं०-१	बत्तरामुख	0	0	500	500	500
32	योजना सं०-१	बहराइच	0	0	700	500	500
33	लोहरामक योजना	सुल्तानपुर	0	0	700	500	500
34	झर्वी योजना	फिल्हाल	0	300	700	500	500
35	योजना सं०-३	ओती	0	300	700	500	500
36	योजना सं०-४	रामगढ़	0	300	700	500	500
37	योजना सं०-१	तजीबाबाद	0	0	800	500	500
38	लोनी रोड योजना	गाजियाबाद	0	0	9000	9000	10000
39	योजना सं०-८	बरेली	0	0	0	500	1000
40	लखरस योजना	लखरस	0	0	0	500	1000
41	वृन्दावन योजना	मथुरा	5	0	0	500	1500
42	सुल्तानपुर रोड योजना	लखनऊ	0	0	6000	7000	11000
43	ओप्राली विस्तार योजना	लखनऊ	0	0	0	600	1000
44	सर्वकुलर रोड योजना	हरिहरौ	0	0	0	0	1500
45	बाईपास योजना	फैजाबाद	0	0	0	300	500
46	गाहजीहापुर योजना-२	फैजाबाद	0	0	0	300	1000
47	योजना सं०-१	अमरेल्करनगर	0	0	0	300	1000
	Grand Total		50000	40000	80000	90000	100000

## **8. प्राथमिकता क्षेत्र :—**

### **8.1 सुविधा—प्रदायक भूमिका**

आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के जुटाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण सागरी की उपलब्धता तथा भवन उपविधियों में सरलीकरण आदि व्यवस्थाओं द्वारा अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाएगा जिससे आवास सेक्टर में सभी सम्भाव्य योगदान करने वाले जैसे निजी निर्माता, सहकारी आवास समितियां, अशाराकीय रांगठन, रामुदायिक रामूह तथा प्रत्येक परिवार/व्यक्ति आवास निर्माण में भागीदारी के लिए गतिशील हो सकें।

### **8.2 कार्य—शैली में सुधार**

परिषद की कार्य—शैली में गुणात्मक सुधार लाने हेतु अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण, भू—अर्जन के प्रतिकर का भुगतान, ऋणों का नियमित प्रतिदान, अवैध कब्जों को हटाना, किराए पर उठी अमिताव्ययी सम्पत्तियों का विक्रय, ओवर—स्टाफिंग में कटौती तथा विविध व्ययों में मितव्ययता हेतु प्रयास किए जाएंगे।

### **8.3 अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता**

अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं रख—रखाव पर बल दिया जाएगा। वाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा।

### **8.4 भूमि बैंक**

भूमि बैंक का रख—रखाव किया जाएगा जिसमें नजूल भूमि, अर्बन सीलिंग की भूमि, ग्राम समाज की भूमि, अर्जित भूमि, अन्य सार्वजनिक भूमि तथा निजी स्थानित्व की भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख—रखाव किया जाएगा।

### **8.5 निजी एवं सहकारी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन**

निजी निर्माताओं तथा सहकारी आवास समितियों को आवासीय योजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, लाइसेन्स के आधार पर भूमि विकास की अनुज्ञा तथा संयुक्त उद्यम के आधार पर योजनाओं का कियान्वयन किया जाएगा।

### **8.6 स्वावलम्बी आवास निर्माण को प्रोत्साहन**

लाभार्थियों को अपने घरों का निर्माण रख्य किए जाने हेतु 'सुविधाप्रदायक' की भूमिका निर्भाइ जाएगी।

## 8.7 विद्यमान हाउसिंग स्टाक का सुधार एवं संरक्षण

जनता के निजी प्रयासों से निर्मित हाउसिंग स्टाक के सुधार एवं संरक्षण हेतु निजी भूमि पर निर्मित अनधिकृत कालोनियों में अवस्थापना एवं सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वयित की जाएंगी। साथ ही अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

## 8.8 गुणवत्ता एवं तकनीकी सुधार

भवनों की लागत कम करने हेतु अल्प लागत की वैकल्पिक रामग्रियों एवं निर्माण की नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

## 8.9 नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण

मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में होने वाले उत्पीड़न से राहत दिलाने हेतु भवन उपविधियों तथा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाएगा।

## 8.10 आवासीय मापदण्ड व भूमि का मितव्ययी उपयोग

भूमि पर नगरीयकरण के निरन्तर बढ़ रहे दबाव के दृष्टिगत भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु भूमि विकास के मापदण्डों तथा सब-डिवीजन रेगुलेशन्स में संशोधन किया जाएगा ताकि विभिन्न आय वर्गों के उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

## 8.11 आवासीय विकास एवं पर्यावरण प्रबन्ध

आवासीय विकास एवं पर्यावरण प्रबन्ध को परस्पर सुसम्बद्ध करने के लिए विकसित कालोनियों में पार्क एवं खुले क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन/आवंटन पर प्रतिबन्ध, हरित पट्टी के भू-उपयोग परिवर्तन पर नियन्त्रण, आवास योजना में समुचित मात्रा में हरित पट्टी एवं पार्कों का प्राविधान एवं उनका संगुचित रख-रखाव, बाग/वन क्षेत्रों का संरक्षण, ठोस कूड़े का एकत्रीकरण एवं निस्तारण, आवासीय योजनाओं में सङ्केत निर्माण के साथ-साथ ड्रेनेज, आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

## परिषद की प्रमुख समस्याये एवं सुझाव

### समस्या सं०-१ परिषद के पास भूमि की कमी इसे बढ़ाने हेतु सुझाव

सुझाव :

- १- लैण्ड बैंक की स्थापना व भूमि अर्जन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना।
- (अ) संशोधित भूमि अध्यापि अधिनियम-१८९४ के अनुसार भूमि अर्जन हेतु समय सीमा निर्धारित की जायें।
- (ब) योजनाओं की शासकीय स्वीकृतियों समयबद्ध रूप से प्रदान की जायें।
- (स) अधिक से अधिक भूमि करार नियमावली के अन्तर्गत सीधी बातचीत से लिये जाने हेतु सभी संबंधित जिलाधिकारियों से सहयोग वांछित होगा।
- (द) एस०एल०ए०ओ० / ए०डी०ए०म०(एल०ए०) को त्वरित भूमि अर्जन हेतु आवास आयुक्त के शीघ्र नियन्त्रण में रखा जायें व्योकि इनके अधिकार का व्यय परिषद वहन करती है।
- (य) एस०एल०ए०ओ० / ए०डी०ए०म०(एल०ए०) द्वारा भू-स्वामियों को मुआवजा शीघ्र से शीघ्र वितरित किया जाय ताकि इसके अभाव में योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न न हो और निर्माण कार्यों में देरी होने के कारण विकसित होने वाली सम्पत्तियों के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि न हो।
- (र) शहरी क्षेत्र में सीलिंग की भूमि जिस पर वर्तमान में मात्र विकास प्राधिकरणों का अधिपत्य है उनमें से लगभग ५० प्रतिशत भूमि परिषद को भी शासकीय दरों पर दिये जाने के आदेश शासन स्तर से निर्गत होने वाहिए।
- (ल) भूमि अर्जन के लिये भूमि अध्यापि अधिकारी के खाते में जमा धनराशि का लेखा-जोखा मासिक रूप से परिषद को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य किया जाना होगा। धारा-७ के उपरान्त अभिनिर्णय घोषित करने तथा कब्जा देने की समय सीमा धारा-७ के शासनादेश में विनिःत न होने के कारण भूमि अध्यापि अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित करने तथा कब्जा देने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। अतः धारा-७ के शासनादेश में अभिनिर्णय घोषित करने तथा कब्जा देने के लिये समय सीमा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
- (व) एस०एल०ए०ओ० / ए०डी०ए०म०(एल०ए०) द्वारा प्रस्तावित योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर परिषद से मुआवजा बॉटने हेतु पूर्ण धनराशि जमा करा ली जाती है। अनेक कारणोंवश पूर्ण योजना का एवार्ड घोषित कर तदानुसार भूमि का कब्जा न देकर कुछ भाग का ही कब्जा हस्तान्तरित किया जाता है शेष भूमि के विरुद्ध जमा धनराशि परिषद को तुरन्त वापस नहीं की जाती है जिसके फलस्वरूप परिषद की काफी बड़ी धनराशि अवरुद्ध रहती है।

### समस्या सं०-२ अवैध निर्माण/अतिकमण की समस्या :

परिषद द्वारा जैसे ही किसी आवासीय योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसी समय से प्रस्तावित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ हो जाते हैं तथा धारा-२४ के विज्ञापन के पश्चात् इसमें ओर तीव्रता आ जाती है जिससे योजना का मूल स्वरूप प्रभावित होने लगता है। इसके अतिरिक्त जब एवार्ड घोषित होकर कब्जा ले लिया जाता है तो भी नियोजन की अवधि में भूमि के अतिकमण की संभावना बनी रहती है।

सुझाव : अवैध निर्माण/अतिकमण से प्रभावित भूमि को मुक्त कराने हेतु सुझाव

- (अ) जिला स्तर पर विशेष दस्तों का गढ़न किया जाना जोकि अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने के लिये उत्तरदायी हो। इस दस्तों के पास ज०सी०बी० मशीन, पुलिस, अर्धसैनिक बल / पी०ए०सी०, मजिस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यह दस्ता विभाग की मांग पर हमेशा उपलब्ध रहे।
- (ब) प्राधिकरणों की भाँति अनाधिकृत निर्माणों को सील करने का अधिकार परिषद को भी दिया जाय।
- (स) अतिक्रमण से प्रभावित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये शासन स्तर से जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विशेष अभियान चलाकर परिषद को पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध करानेकी व्यवस्था की जाय।

**समस्या सं०-३ योजनाओं के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण**

**वित्तीय मार**  
**सुझाव :** जिन योजनाओं का हस्तान्तरण स्थानीय निकायों को नहीं हो सका है उनके रख-रखाव हेतु परिषद पर व्यय भार पड़ता है जिसके लिये शासन स्तर से रख-रखाव शुल्क वास्तविक/संभावित व्यय के आधार पर आवंटियों से लिये जाने का अधिकार परिषद को दिया जायें।

**समस्या सं०-४ प्रशासनिक व्यय अधिक होना।**

**सुझाव :**

- 1— भूमि बैंक का सभी विज्ञापित नगरों में उपलब्ध होना आवश्यक है जिससे कार्य भार बढ़े जिससे की नियुक्त स्टाफ का सम्पूर्ण उपयोग हो सकें।
- 2— परिषद द्वारा विकसित योजनाओं की सेवायें स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने हेतु शासन स्तर पर समय सीमा निर्धारित की जाय जिसका पालन करने हेतु संबंधित निकायों को कठोर निर्देश दिये जायें जिससे कि विकसित योजनाओं के रख-रखाव पर तैनात स्टाफ को अन्यत्र उपयोग कर अतिरिक्त व्यय से बचा जाए सकें। विकसित योजनाओं की सेवाओं के हस्तान्तरण की समीक्षा मण्डलायुक्त स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक किये जाने के निर्देश शासन स्तर से जारी किया जाना उचित होगा।
- 3— यदि वर्क लोड बढ़ता है तो प्रशासनिक व्यय कम होता है जिसके लिये सभी श्रेणी के अधिक से अधिक भवनों के निर्माण हेतु शासन के पत्र सं०-सी०ए०३४९/ आ-१०६-१३ बजट/०५ टी०सी०दिनांक ६-१०-०६ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाया जाय।
- 4— पूर्व की भाँति ही इन्फास्ट्रक्चर कार्यों हेतु धनराशि सीधे परिषद को उपलब्ध करायी जाय व परिषद योजनाओं में ही उपयोग की अनुमति प्रदान की जाय जिससे कि परिषद योजनाओं की सेवाओं तथा नगर के विकास के लिये आवश्यक अन्य सेवाओं का विकास संबंधित मण्डलायुक्त की अपेक्षानुसार किया जा सकें। इससे परिषद स्टाफ का भी सदुपयोग किया जा सकेगा व प्रशासनिक व्यय में भी कभी आयेगी।

अनुसंदेशक-‘क’ क्र

(क्र)

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद के द्वारा ज्ञापित 137 नगरों में नगरवार कार्य की स्थिति

क्रमांक	लघुपत्र का नाम	नगर का नाम	नगर जिनमें सम्पर्कित हो का सूचना किया गया है	नगर जिनमें भूमि का कब्जा प्राप्त है एवं कार्य प्रारम्भ किया जाता है	नगर जिनमें भूमि अर्जन प्रस्तावित है	नगर जिनमें योजना संचालित / प्रस्तावित की जानी है	अनियुक्त
1	2	3	4	5	6.	7	8
<b>उत्तर प्रदेश</b>							
1	लखनऊ	लखनऊ	✓	—	—	—	—
2	शायबरेली	शायबरेली	✓	—	—	—	—
3	उन्नाव	उन्नाव	✓	—	—	—	—
4	कानपुर	कानपुर	✓	—	—	—	—
5	इलाहाबाद	इलाहाबाद	✓	—	—	—	—
6	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	✓	—	—	—	—
7	वाराणसी	वाराणसी	✓	—	—	—	—
8	मेरठ	मेरठ	✓	—	—	—	—
9	गाजियाबाद	हापुड़	✓	—	—	—	—
10	सहारनपुर	सहारनपुर	✓	—	—	—	—
11	बरेली	बरेली	✓	—	—	—	—
12	मुरादाबाद	मुरादाबाद	✓	—	—	—	—
13	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	✓	—	—	—	—
14	आगरा	आगरा	✓	—	—	—	—
15	झौंसी	झौंसी	✓	—	—	—	—
16	अलीगढ़	अलीगढ़	✓	—	—	—	—
17	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	✓	—	—	—	—
18	गोरखपुर	गोरखपुर	✓	—	—	—	—
19	फैजाबाद	फैजाबाद	✓	—	—	—	—
20	बस्सी	बरती	✓	—	—	—	—
21	सीतापुर	सीतापुर	✓	—	—	—	—
22	रामपुर	रामपुर	✓	—	—	—	—
23	आजमगढ़	आजमगढ़	✓	—	—	—	—
24	मिजापुर	मिजापुर	✓	—	—	—	—
25	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	✓	—	—	—	—
26	विजनौर	विजनौर	✓	—	—	—	—
27	फतेहपुर	फतेहपुर	✓	—	—	—	—
28	गाजियाबाद	गाजियाबाद	✓	—	—	—	—
29	मैनपुरी	मैनपुरी	✓	—	—	—	—
30	मुरादाबाद	बन्दीसी	✓	—	—	—	—
31	मथुरा	मथुरा	✓	—	—	—	—
32	लखीमपुर	लखीमपुर	✓	—	—	—	—
33	इटावा	इटावा	✓	—	—	—	—
34	महानगरपालिका	हाथरस	✓	—	—	—	—
35	एटा	कासबंज	✓	—	—	—	—
36	फलेखाबाद	छिंवामऊ	✓	—	—	—	—

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगर का नाम	नगर जिनमें सम्पत्तियों का सृजन किया गया है	नगर जिनमें भूमि का कब्जा प्राप्त है एवं कार्य प्रारम्भ किया जाना है	नगर जिनमें भूमि अर्जन प्रस्तावित है	नगर जिनमें योजना संबालित / प्रस्तावित की जानी है	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
37	फर्रुखाबाद	फतेहगढ़	✓	—	—	—	—
38	वारांकी	वारांकी	✓	—	—	—	—
39	मेरठ	खतीली	✓	—	—	—	—
40	मेरठ	बड़ीत	✓	—	—	—	—
41	बलिया	बलिया	✓	—	—	—	—
42	इटावा	ओरेया	✓	—	—	—	—
43	गाजीपुर	गाजीपुर	✓	—	—	—	—
44	किरोजाबाद	शिकोहाबाद	✓	—	—	—	—
45	हरदोई	शाहाबाद	✓	—	—	—	—
46	जालौन	जालौन	✓	—	—	—	—
47	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	✓	—	—	—	—
48	हरदोई	हरदोई	✓	—	—	—	—
49	पीलोभीत	पीलोभीत	✓	—	—	—	—
50	बदायूँ	बदायूँ	✓	—	—	—	—
51	बौदा	बौदा	✓	—	—	—	—
52	ज्योतिवाफुलेनगर	अमरोहा	✓	—	—	—	—
53	गोण्डा	गोण्डा	✓	—	—	—	—
54	एटा	एटा	—	*	—	—	—
55	बुलन्दशहर	खुर्जा	—	*	—	—	—
56	गाजियाबाद	मोदीनगर	—	—	✓	—	—
57	बहराइच	बहराइच	—	—	✓	—	—
58	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	—	—	✓	—	—
59	जालौन	ऊरई	—	—	✓	—	—
60	विजनौर	नजीमाबाद	—	—	✓	—	—
61	महोबा	महोबा	—	—	✓	—	—
62	देवरिया	देवरिया	—	—	✓	—	—
63	जौनपुर	जौनपुर	—	—	✓	—	—
64	इलाहाबाद	मुगलसराय	—	—	—	✓	✓
65	कान्नौज	कान्नौज	—	—	—	✓	—
66	झाँसी	मेलानीपुर	—	—	—	✓	—
67	विजनौर	कोटद्वार	—	—	—	✓	—
68	मेरठ	शामली	—	—	—	✓	—
69	गाजियाबाद	मुरादनगर	—	—	—	✓	—
70	सहारनपुर	देवबन्ध	—	—	—	✓	—
71	मऊ	मउनाथभंजन	—	—	—	✓	—
72	जीवीनगर	दादरी	—	—	—	✓	—
73	मेरठ	कैराना	—	—	—	✓	—
74	अग्रेडरनगर	टॉडा	—	—	—	✓	—

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगर का नाम	नगर जिनमें सम्पत्तियों का सृजन किया गया है	नगर जिनमें गृहि का कब्जा प्राप्त है एवं कार्य प्रारम्भ किया जाना है	नगर जिनमें भूमि आजीन प्रस्तावित है	नगर जिनमें योजना संभालित / प्रस्तावित की जानी है	अधिकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
75	बलरामपुर	बलरामपुर	—	—	—	✓	
76	अग्नेडरनगर	अकबरपुर	—	—	—	✓	
77	सुल्तानपुर	अमेठी	—	—	—	✓	
78	फैजाबाद	अयोध्या	—	—	—	✓	
79	ललितपुर	ललितपुर	—	—	—	✓	
80	हमीरपुर	हमीरपुर	—	—	—	✓	
81	सन्त रविदासनगर	गोपीगंज	—	—	—	✓	
82	सन्त रविदासनगर	ज्ञानपुर	—	—	—	✓	
83	रोनभद्र	ओवरा	—	—	—	✓	
84	विजनौर	नगीना	—	—	—	✓	
85	शन्त रविदासनगर	भदोही	—	—	—	✓	
86	झाँसी	कौच	—	—	—	✓	
87	लखीमपुर	गोलागोकरननाथ	—	—	—	✓	
88	मुरादाबाद	साम्बल	—	—	—	✓	
89	मुरादाबाद	चौदपुर	—	—	—	✓	
90	शहजहाँपुर	तिलहर	—	—	—	✓	
91	बरेली	ओंचला	—	—	—	✓	
92	बरेली	बहेड़ी	—	—	—	✓	
93	हरदोई	सड़ीला	—	—	—	✓	
94	बदामूँ	उड़ियानी	—	—	—	✓	
95	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाग	—	—	—	✓	
96	मथुरा	दृन्दाबन	—	—	—	✓	
97	गाजियाबाद	पिलखुआ	—	—	—	✓	
98	मथुरा	कोशीकल्लौ	—	—	—	✓	
99	बुलन्दशहर	अनूपशहर	—	—	—	✓	
100	गहराजनगर	महराजगंज	—	—	—	✓	
101	पड़रीना	पड़रीना	—	—	—	✓	
102	रोनभद्र	राबट्सगंज	—	—	—	✓	
103	सोनभद्र	रेन्कूट	—	—	—	✓	
104	अकबरपुर माती	अकबरपुर माती	—	—	—	✓	
105	मुरादाबाद	गजरीला	—	—	—	✓	
106	अलीगढ़	अतरीली	—	—	—	✓	
107	अलीगढ़	दिनेशपुर	—	—	—	✓	
108	गाजियाबाद	नरेन्द्रनगर	—	—	—	✓	
109	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	—	—	—	✓	

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगर का नाम	नगर जिनमें सम्पत्तियों का सृजन किया गया है	नगर जिनमें भूमि का कब्जा प्राप्त है एवं कार्य प्रारम्भ किया जाना है	नगर जिनमें भूमि अर्जन प्रस्तावित है	नगर जिनमें सोना संचालित/प्रस्तावित की जानी है	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>उत्तराखण्ड</b>							
110	हरिद्वार	हरिद्वार	✓	—	—	—	
111	हल्द्वानी	हल्द्वानी	✓	—	—	—	
112	देहरादून	देहरादून	✓	—	—	—	
113	लौहपुर	लौहपुर	✓	—	—	—	
114	काशीपुर	काशीपुर	✓	—	—	—	
115	किंच्चा	किंच्चा	✓	—	—	—	
116	रुड़की	रुड़की	✓	—	—	—	
117	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	✓	—	—	—	
118	गढ़रपुर	गढ़रपुर	✓	—	—	—	
119	ऋषिकेश	ऋषिकेश	✓	—	—	—	
120	जासपुर	जासपुर	✓	—	—	—	
121	खटीमा	खटीमा	✓	—	—	—	
122	पीढ़ी	श्रीनगर	—	✓	—	—	
123	नैनीताल	नैनीताल	—	✓	—	—	
124	अल्मोड़ा	रानीखेत	—	✓	—	—	
125	हरिद्वार	रानीपुर	—	—	✓	—	
126	नैनीताल	टनकपुर	—	—	—	✓	
127	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	—	—	—	✓	
128	नैनीताल	सेलारगंज	—	—	—	✓	
129	नैनीताल	गमनगर	—	—	—	✓	
130	पीढ़ी	पीढ़ी	—	—	—	✓	
131	देहरादून	मंसूरी	—	—	—	✓	
132	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	—	—	—	✓	
133	बमोली	बमोली	—	—	—	✓	
134	बमोली	गोपेश्वर	—	—	—	✓	
135	नैनीताल	बाजपुर	—	—	—	✓	
136	नैनीताल	भीमताल	—	—	—	✓	
137	नैनीताल	लालकुआँ	—	—	—	✓	

\* कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।